खण्ड : 11

संख्या : 14-17

दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(एकादश सत्र)

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

दिनांक : 22, 23, 26 एवं
27 जुलाई 1993 ई०

गया । भारत सरकार द्वारा जलावन कोयले के उठाव हेतु रूपान्तरणशिप की व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में निदेश प्राप्त होने के बाद पुनः वैशाली जिला को जनवरी, 93 से जलावन कोयले का उपावंटन दिया गया और सरकार के पत्रांक-6456, दिनांक-2.12.92 के अनुसार परिचय पत्र निर्गत कर कोयले का उठाव एवं वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश भेजा गया । ऐसी जानकारी मिली है कि वैशाली जिले में परिचय पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के फलस्वरूप उठाव बाधित हुआ है । जिलाधिकारी, वैशाली को शीघ्र परिचय-पत्र निर्गत कर जलावन कोयले का उठाव एवं वितरण कराने हेतु निदेश दिया जा रहा है ।

(3) उत्तर अस्वीकारात्मक है । जिलाधिकारी, वैशाली द्वारा परिचय-पत्र निर्गत करने हेतु कार्रवाई की गई है तथा प्रखण्ड स्तरीय वितरण-सह-निगरानी समिति से नाम का चयन हेतु अनुशंसा मांगी गयी है । शीघ्र ही परिचय-पत्र निर्गत कर दिया जायगा ।

(4) खण्ड 1 से 3 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

विलम्ब का औचित्य

1201. **श्री सुशील कुमार मोदी** : क्या मंत्री खाद्य एवं आपूर्ति विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि पटना में नये राशन कार्ड बनाने हेतु सितम्बर, 1992 में पुराना राशन कार्ड जमा कराया गया एवं नये कार्ड बनाने हेतु आवेदन पत्र लिए गये;

(2) क्या यह बात सही है कि इस महीने के बीत जाने के बाद भी नगरवासियों को नया राशन कार्ड नहीं दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो नया राशन कार्ड बनाने में विलम्ब करने का क्या औचित्य है;

श्री मो० अजीमुद्दीन : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तु स्थिति यह है कि हाल में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों को आवश्यक जाँचोपरान्त 940 राशन कार्ड का वितरण किया गया है ।

(3) पटना अनुभाजन क्षेत्र की आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 10,80,271 है । इस आबादी के लिए अनुमान्य राशन कार्ड की संख्या-176,000 होती है जबकि पूर्व से ही 2,60448 राशन कार्ड निर्गत हैं । माह अक्टूबर, 1992 में नया राशन कार्ड के लिए 3,26,642 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार कुल- 5,87,90 घोषणा पत्र आवेदन पत्रों के संबंध में जाँच करने की आवश्यकता है । साथ ही जाली यूनिट की छटनी के संबंध में भी गहन जाँच उसी क्रम में करनी है । इतने अधिक आवेदन पत्रों की जाँच अनुभाजन कार्यालय में उपलब्ध पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं साधन से पूरा कराने में अधिक समय लगना स्वाभाविक है । फिर भी इस अभियान को शीघ्र पूरा करने की कार्रवाई की जा रही है जिसे 6 माह में पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

आरक्षण नीति के आलोक में पदस्थापन

1216. **श्री योगेश्वर गोप :** क्या मंत्री, कृषि विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-2065 दि 08-11-75 तथा उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार किसी पद की प्रथम रिक्ति की अनारक्षित तथा द्वितीय एवं चुतर्थ रिक्ति को आरक्षित माना गया है ?

(2) क्या यह बात सही है कि संयुक्त कृषि निदेशक (पौ0 सं0) के आरक्षित पद का प्रभार गैर आरक्षित श्री एन० एन० वर्मा को दि० 30-4-62 को कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत दिया गया है ?

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार संयुक्त कृषि निदेशक (पौ० सं०) का प्रभार आरक्षण नीति